न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–23/2018/भीलवाड़ा (2018/00023)

1. घनश्याम पुत्र स्व0 मोहनलाल तिवाड़ी, जाति ब्राहम्ण, निवासी जहाजपुर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. महेशचन्द्र गोदपुत्र स्व0 देवीलाल तिवाडी, जाति ब्राहम्ण, निवासी जहाजपुर, हाल निवासी ए–27, सर्वेश्वर कॉलोनी, मोतीनगर, सांगानेर रोड़, भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 26.2.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 135/2017.

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शशिकांत जोशी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 26.2.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामांतकरण संख्या 3313 निर्णित करने से पूर्व अधी0न्याया0 ने अपीलांट व उसकी माता श्रीमती अनोपीदेवी को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवायी का कोई अवसर दिया तथा ना ही विवादित भूमि पर कब्जे बाबत् कोई जांच की गई । अतः तथाकथित नामांतकरण संख्या 3313 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा ने प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 26.2.2018 द्वारा

प्रार्थी/अपीलांट की अपील खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 273 वगैरह किता 3 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा , खसरा संख्या 274 वगैरह किता 8 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा में 1/3 हिस्सा एवं खसरा संख्या 5158 व 5229 किता 2 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता मोहनलाल पुत्र रामचंद्र के नाम दर्ज रही है । मोहनलाल के वारिस अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व अनोपदेवी पत्नि रही है जिसमें से महेशचन्द्र रेस्पो0 संख्या 1 देवीलाल पुत्र रामचन्द्र के कोई संतान नहीं होने से करीब 45 वर्ष पूर्व जाति रस्म के अनुसार गोद गया हुआ है जिसका गोदनामा देवीलाल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मोहनीदेवी ने दिनांक 29. 4.1997 को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित व पंजीबद्ध कराया गया है । अपीलांट के पिता मोहनलाल का दिनांक 21.9.2006 को देहांत होने के उपरांत वादग्रस्त आराजियात के एकमात्र वारिस अपीलांट व अनोपदेवी अपीलांट की माता ही शेष रही है एवं श्रीमती अनोपदेवी का भी दिनांक 4.6.2012 को स्वर्गवास हो गया है जिससे अपीलांट ही संपूर्ण विवादित आराजियात का एकमात्र वारिस होकर खातेदार काश्तकार है किन्तु रेस्पो0 संख्य 1 द्वारा स्वंय को देवीलाल के गोद जाने के तथ्य को छिपाते हुए वादग्रस्त आराजियात में अपीलांट व माता अनोपदेवी के साथ–साथ स्वंय का नाम भी अंकित जरिये नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11. 2006 से दर्ज करवा लिया है जो विधि विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने के बजाय तकनीकी आधार पर मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । धारा 5 मियाद अधि0 के प्रावधान आज्ञापक प्रावधान नहीं होकर निर्देशात्मक प्रावधान है । न्यायालय को प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किये बिना तकनीकी आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिये था । माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दृष्टांतों के संदर्भ में जहां प्रकरण गुणावगुण पर उचित प्रतीत होता है वहा धारा 5 मियाद अधि0 को गौण मानते हुए गुणावगुण पर विवेचन किया जाना आवश्यक है । नामांतकरण संख्या 3313 अवैधानिक रूप से मोहनलाल के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 को मोहनलाल का पुत्र होना दर्शित करते हुए अपीलांट एवं उसकी माता के साथ स्वीकृत किया गया है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 महेशचन्द्र के नाम गोदपुत्र की हैसियत से देवीलाल के स्वर्गवास के बाद उसकी समस्त आराजियात बाबत् राजस्व अभिलेख में इंद्राज किये जा चुके है । स्वंय

रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद विरूद्ध मोहनीदेवी पत्नी देवीलाल प्रस्तुत कर उक्त वाद में देवीलाल का गोदपुत्र होने संबंधी कथन वर्णित किये है परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार, जहाजपुर ने अवैधानिक रूप से नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 को रेस्पो0 1 संख्या के नाम स्वीकृत किया है जो प्रथमदृष्टया शून्य दस्तावेज होने से मियाद अधि0 के प्रावधान उक्त संदर्भ में लागू नहीं होते है । विद्वान वकील अपीलांट ने आर0आर0डी0 1998 पेज 319 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित कर कथन किया कि गुणावगुण पर विवेचन किये बिना एकमात्र तकनीकी आधार पर धारा 5 मियाद अधि0 के तहत अपील को निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 26.2.2018 एवं तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र थे जिनकी मृत्यु उपरांत नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा बाद जांच बतौर प्राकृतिक पुत्र महेशचन्द्र एवं घनश्याम तथा पत्नि अनोपीदेवी के नाम तस्दीक किया गया है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट ने 11 वर्ष की भारी मियाद बाहर नामांतकरण संख्या 3313 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की तथा विलंब के भी संतोषप्रद कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं करने से अधी0न्याया0 ने अपील मियाद बाहर मानकर खारिज की है जो निर्णय सही है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हीं है जिससे यह साबित हो कि महेशचन्द्र मृतक देवीलाल अथवा उसकी पत्नि मोहनीदेवी का गोदपुत्र है । मोहनीदेवी द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत गोदनामा दिनांक 29.4.1997 का जिक्र किया गया है वह स्वंय मोहनीदेवी द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 23.9.1999 को निरस्त करवाया जा चुका है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि पूर्व में एक गोद विलेख देवीलाल द्वारा दिनांक 10.11.1976 को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कराया गया था जिसे स्वंय देवीलाल ने मात्र 10 दिवस उपरांत दिनांक 27.11.1976 को ही नियमानुसार प्रक्रिया से निरस्त करवा दिया था । रेस्पो0 संख्या 1 को गोद लिये जाने के संबंध में पूर्व गोदनामे वर्ष 1976 एवं 1999 में निरस्त किये जा चुके है । उक्त तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 देवीलाल का गोदपुत्र न होकर अपीलांट का सगा भाई है । रेस्पो0 संख्या 1 राजकीय सेवा के पद से सेवानिवृत हुआ है और सर्विस रिकार्ड में भी वल्दियत बतौर प्राकृतिक पिता मोहनलाल की ही अंकित है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा देवीलाल व मोहनी देवी की चल व अचल सम्पति बतौर गोदपुत्र प्राप्त नहीं की गई है । अपीलांट यदि महेशचद्र को देवीलाल का गोदपुत्र कथित करता है तो इसके लिये उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिये था, क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण नमांतकरण

से संबंधित है और नामांतकरण जैसी सरसरी एवं संक्षिप्त प्रक्रिया में केवल मात्र लगान की देयता का अभिनिर्धारण किया जाता है न कि गोद एवं वसीयत जैसे उत्तराधिकार वाले जटिल बिन्दू अभिनिर्धारित होते है। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में अपीलांट द्वारा राजस्व वाद संख्या 701/2017 घनश्याम बनाम महेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । विधि द्वारा यह भी सुस्थापित है कि जहां नियमित वाद विचाराधीन हो वहां नामांतकरण की प्रक्रिया को स्थगित कर देना चाहिये, क्योंकि एक ही बिन्दू को दो समानान्तर प्रक्रियाओं से चुनौती नहीं दी जा सकती है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 को स्वीकृत हुआ है तथा इसकी जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से ही रही है क्योंकि उक्त नामांतकरण अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 तथा माता अनोपदेवी के नाम तस्दीक हुआ है जिसके उपरांत अनोपदेवी ने अपने हिस्से का हकत्याग अपीलांट के पक्ष में किया है जिसका नामांतकरण संख्या 3607 दिनांक 18.5.2009 अपीलांट के नाम तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है इसके उपरांत तीन खातों की विवादित आराजी महेशचद्र व घनश्याम के शामालाती खाते दर्ज होने के कारण इन्होंने आपसी सहमति से राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार, जहाजपुर से विवादित आराजियात का विभाजन भी करवाया है जिसका नामांतकरण संख्या 3656 दिनांक 17.7.2009 राजस्व रिकार्ड में दोनों के नाम दर्ज हो चुका है। तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने हिस्से की आराजी बैर में जरिये नामांतकरण संख्या 3807 रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है और बाद में रहनमुक्त करवायी है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के हिस्से की आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होने पर अपीलांट ने मुआवजा भी प्राप्त किया है । उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट को नामांतकरण संख्या 3313 की प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद अपील भारी मियाद बाहर गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है जिसे विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपास्त किया है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2017 पेज 95,आर0आर0टी0 2017 पेज 117, आर0आर0टी0 2014 पेज 154, आर0आर0टी0 2003 पेज 650, आर0आर0डी0 2009 पेज 101 व 123 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार मोहनलाल पि0 रामचन्द्र थे जिनकी मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा महेशचन्द्र, घनश्याम पि0 मोहनलाल एवं अनोप देवी पत्नि मोहनलाल के नाम तस्दीक किया गया है । अपीलांट का मुख्य

कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 महेशचन्द्र को मोहनी देवी पत्नि देवीलाल ने दिनांक 29.4.1997 को जरिये पंजीबद्ध गोदनामे के गोद लिया है जिससे रेस्पो0 संख्या 1 का मृतक खातेदार मोहनलाल की आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा मोहनलाल की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 3313 प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील पत्रावली पर उपलब्ध गोदनामा दिनांक 29.4.1997 उपलब्ध है जिसके अनुसार श्रीमती मोहनीदेवी पत्नि देवीलल तिवाड़ी ने महेशचन्द्र पुत्र मोहनलाल को स्वंय के कोई जायंदा औलाद नही होने से गोद लिया है तथा उक्त गोदनामा उप पंजीयक, भीलवाडा के समक्ष पंजीबद्ध कराया गया है । इसी प्रकार पत्रावली पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2005 उपलब्ध है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती मोहनी देवी पत्नि देवीलाल, महेश कुमार गोदपुत्र देवीलाल एवं सत्यनारायण गोदपुत्र देवीलाल ने भूखण्ड संख्या 52 गोदपुत्र की हैसियत से श्रीमती अर्चना पाटोदी पत्नि नरेश पाटोदी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2005 को विक्रय किया है । इन सभी दस्तावेदी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 स्व0 देवीलाल एवं मोहनीदेवी का गोदपुत्र है तथा देवीलाल की आराजी का गोदपुत्र की हैसियत से विक्रय भी किया है । इसी क्रम में रेस्पो0 नंबर 1 द्वारा अपने दत्तक पिता श्री देवीलाल की मृत्यु के उपरांत अपनी दत्तक माता के विरूद्ध वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92–ए राज0काश्त0अधि0 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के यहां पर प्रस्तुत कर दत्तक पिता स्व0 देवीलाल की मृत्यु उपरांत स्वंय को दत्तक पुत्र की हैसियत से वादपत्र में वर्णित आराजियात में देवीलाल के हिस्से की 1/3 भूमि का स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करने की राहत चाही है । उपरोक्त वर्णित दस्तावेजी साक्ष्यों में स्वंय महेशचन्द्र ने देवीलाल के गोदपुत्र होने संबंधी तथ्य को की स्वीकारोक्ति की है । रेस्पो0 ने अपनी बहस में यह कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित गोदनामे वर्ष 1976 एवं 1999 में निरस्त कराये जा चुके है किन्तु इस संबंध में रेस्पो0संख्या 1 ने अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की है । मियाद के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1998 पेज 319 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मात्र तकनीकी आधार पर धारा 5 मियाद अधि0 के तहत प्रकरण को निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है । उपरोक्त न्याययिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विधिक हक व अधिकार निहित होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने मात्र अपील विलंब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निरस्त

करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक देवीलाल का गोदपुत्र है जिसके द्वारा मृतक देवीलाल की आराजी का गादेपुत्र की हैसियत से बैचान किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 के देवीलाल एवं श्रीमती मोहनीदेवी के गोद जाने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 के प्राकृतिक पिता मोहनलाल की सम्पति में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहते है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने उपरोक्त तथ्य छिपाते हुए तहसीलदार, जहाजपुर से विरासत नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 को स्वीकृत कराया है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त सभी तथ्य विद्यमान होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण को केवल मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 26.2.2018 एवं तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 अपास्त योग्य पाये जाते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 23/2018 (2018/00023) बउनवानी घनश्याम बनाम महेशचन्द्र को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 135/2017 बउनवान घनयाम बनाम महेशचन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2018 एवं तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 3313 दिनांक 17.11.2006 को अपास्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.06 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: